

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बड्जलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 39/2020/दावा 136 एलआरएक्ट

1. भूराराम पुत्र गुल्लाराम जाति जाट निवासी प्रेमपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।
-वादी

व नाम

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
-प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती

उपस्थिति-

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील वादी की ओर सें।

निर्णय

दिनांक - 13.10.2020


1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 25 लगायत 29, 31, 32 किता 7 कुल रकबा 11.71 है0 वाके ग्राम कांकरा पटवार हल्का कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर व भूमि ख0नं0 1368, 1370, 1371, 1385, 1386, 1388 कुल किता 6 कुल रकबा 13.70 हैक्टर वाके ग्राम प्रेमपुरा पटवार हल्का डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमियों में वादी का हिस्सा 1/9 व 1/12 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उसी अनुसार वादी मौके पर काविज काश्तकार चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमियां वादी की पैतृक सम्पदा है जो उसके पिता की मृत्यु के बाद जरिये विरासत मिली है। उक्त विरासत का नामान्तकरण भूराराम पुत्र गुल्ला राम के नाम से भरा गया और वादी का वास्तविक नाम भी भूराराम पुत्र गुल्ला है व उसके सभी सरकारी दस्तावेज जैसे राशनकार्ड आधार कार्ड वोटरलिस्ट बैंक की पास बुक में भी भूराराम पुत्र गुल्लाराम नामान्तकरण में अमल दरामद करते हुए वादी का सही नाम भूराराम पुत्र गुल्लाराम अमलदरामद है जो सही है और उसी अनुसार वर्तमान में चला आ रहा है परन्तु वाद में भूमि ख0नं0 1368, 1370, 1371, 1385, 1386, 1388 कुल किता 6 कुल रकबा 13.70 हैक्टर वाके ग्राम प्रेमपुरा पटवार हल्का डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का नाम भूराराम से मिलता हुआ भंवरलाल पुत्र गुल्लाराम दर्ज कर दिया जो गलत है दस्तावेजों के विपरित है। वादी को उक्त गलत नाम की जानकारी दिनांक 15.06.2020 को किसान कार्ड बनवाने के लिए हल्का पटवारी से जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की नकल लेने गया तब हल्का पटवारी ने कहा कि आपका नाम तो उक्त जमाबन्दी में भंवर पुत्र गुल्ला है। अतः दावा बाबत उद्घोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी को कृषि भूमि खसरा नम्बर भूमि ख0नं0 1368, 1370, 1371, 1385, 1386, 1388 कुल किता 6 कुल रकबा 13.70 हैक्टर वाके ग्राम प्रेमपुरा पटवार हल्का डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में वादी का नाम भंवरलाल पुत्र

3
उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ (सीकर)

गुल्लाराम को दुरुस्त कर उसके स्थान पर भूराराम पुत्र गुल्लाराम संशोधित कर रिकार्ड दुरुस्ती की जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का नाम भंवरलाल पुत्र गुल्लाराम को दुरुस्त कर उसके स्थान पर भूराराम पुत्र गुल्लाराम संशोधित कर रिकार्ड दुरुस्ती की जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम प्रेमपुरा के जमाबन्दी संवत् 2076-79 के खं नं 56 किता 11 रकबा 11.07 व खं.नं. 49 किता 7 रकबा 6.81 व खं.नं. 16 किता 6 रकबा 13.70 में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र गुल्लाराम दर्ज है। उक्त प्रार्थी का नाम ग्राम कांकरा की जमाबन्दी सं. 2076-79 में खं.नं. 206 किता 7 रकबा 11.71 है 0 में प्रार्थी का नाम भूराराम पुत्र गुल्लाराम दर्ज है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में आधार कार्ड वगैरे में प्रार्थी का नाम भूराराम पुत्र गुल्लाराम दर्ज है। उपस्थित मैजिज व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति का वास्तविक नाम भूराराम पुत्र गुल्लाराम ही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। वादी का दावा बाबत उद्घोषणा व रिकॉर्ड दुरुस्ती स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम प्रेमपुरा पटवार हल्का डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 1368, 1370, 1371, 1385, 1386, 1388 कुल किता 6 कुल रकबा 13.70 हैक्टर में खातेदार वादी का नाम भंवरलाल पुत्र गुल्लाराम को दुरुस्त कर उसके स्थान पर भंवरलाल उर्फ भूराराम पुत्र गुल्लाराम संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। डिक्री जारी हो। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ (सीकर)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर
इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

भूराराम

बनाम

राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा नं० 39/दावा सन् 2020

निर्णय दिनांक-13-10-2020


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी श्री सुरेन्द्रपाल धायल मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा ग्राम प्रेमपुरा पटवार हल्का डांसरोली तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 1368, 1370, 1371, 1385, 1386, 1388 कुल किता 6 कुल रकबा 13.70 हैक्टर में खातेदार वादी का नाम भंवरलाल पुत्र गुल्लाराम को दुरुस्त कर उसके स्थान पर भंवरलाल उर्फ भूराराम पुत्र गुल्लाराम संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख-13-10-2020 को जारी की गई।

मोहर


दस्तखत ओहकारी
उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ (सीकर)

	रुपया	पैसे	मूदाफलह	रुपया	पैसे
स्ताम्प अजी दावा	6	00	स्ताम्प वकालतनामा	1	00
स्ताम्प वकालतनामा	1	00	स्ताम्प अजी		
स्ताम्प वजह सबूत	-	-	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील	-	-	खर्च मवाहान		
खर्च मवाहान	-	-	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	-	-	बाबत हजारतय हुम्ननामा		
बाबत हजारतय हुम्ननामा	-	-	मुल्फाईक	0	00
मुल्फाईक	8	00		0	00
मौजान	15	00	मौजान	1	00

नोट: इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च हर दो फर्केशन का खाते डिफरेंस के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

डा. अशोक कुमार
 (अशोक कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ
 उपखण्ड अधिकारी
 दातारामगढ (सीकर)